

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 02/2021

राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्रपाल, प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर,
जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

मूलचन्द पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 16, सादुलशहर
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

फर्म :- बाबा रामदेव मिष्ठान भण्डार धानमण्डी, सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 21.03.2022

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आ0व0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दिनांक 28.08.2021 को श्री विजेन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी के जांच हेतु बाबा रामदेव मिष्ठान भण्डार धानमण्डी, सादुलशहर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर मूलचन्द पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 16, तहसील सादुलशहर उपस्थित मिला, जिसने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। वरवक्त होटल की जांच करने पर होटल में मिठाई व चाय आदि बनाने का कार्य किया जा रहा था। मिठाई व चाय बनाने में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा था। होटल पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 किलो गैस को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर देवेन्द्र सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी वार्ड नम्बर 13 सादुलशहर कार्यकर्ता सादुलशहर गैस एजेन्सी सादुलशहर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस एवं सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं आदेशिका दिनांक 23.09.2021 उपस्थित आया था। दिनांक 23.09.2021 से लेकर आज दिनांक तक अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 28.08.2021 को श्री विजेन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी के जांच हेतु बाबा रामदेव मिष्ठान भण्डार धानमण्डी, सादुलशहर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर मूलचन्द पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 16, तहसील सादुलशहर उपस्थित मिला, जिसने स्वयं को फर्म का मालिक होना



(Signature)
श्री. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बताया। वरवक्त होटल की जांच करने पर होटल में मिठाई व चाय आदि बनाने का कार्य किया जा रहा था। मिठाई व चाय बनाने में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा था। होटल पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 किलो गैस को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर देवेन्द्र सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी वार्ड नम्बरद 13 सादुलशहर कार्यकर्ता सादुलशहर गैस एजेन्सी सादुलशहर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस एवं सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है। अतः सीजशुदा एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 किलो गैस को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी को बार-बार आवाज लगाई। अप्रार्थी अनुपस्थित।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 28.08.2021 को श्री विजेन्द्रपाल प्रवर्तन अधिकारी के जांच हेतु बाबा रामदेव मिष्ठान भण्डार धानमण्डी, सादुलशहर पहुंचे। वक्त जांच मौके पर मूलचन्द पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 16, तहसील सादुलशहर उपस्थित मिला, जिसने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। वरवक्त होटल की जांच करने पर होटल में मिठाई व चाय आदि बनाने का कार्य किया जा रहा था। मिठाई व चाय बनाने में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग किया जा रहा था। होटल पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 किलो गैस को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर देवेन्द्र सिंह पुत्र महावीर प्रसाद निवासी वार्ड नम्बरद 13 सादुलशहर कार्यकर्ता सादुलशहर गैस एजेन्सी सादुलशहर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस एवं सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है।

फलस्वरूप, अप्रार्थी से जब्त शुदा एक अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 किलो गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर